20/6/13 को प्राप्त

35

न्यायालय- समक्ष-माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

R. 2323 - III/13

उमजान खान अभि0/श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी
द्वारा आज दि 19.6.13 को
प्रस्तुत
19.6.13
रीडर बोर्ड कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

सचिव क्लब भवन छटन कैंप उमरिया द्वारा [illegible]
कुमार सोनी निवासी-उमरिया, तहसील-[illegible]
थाना उमरिया, जिला-उमरिया {म.प्र.} — [illegible]

बनाम

{1} मध्य प्रदेश शासन

{2} सुनील तिवारी पिता शिवभूषण तिवारी
निवासी ग्राम- चन्दिया, तहसील चन्दिया,
थाना चन्दिया, जिला उमरिया {म.प्र.}
{शिकायतकर्ता} —— अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध निर्णय कलेक्टर उमरिया के रा0प्र0क्र0-20/स्व.पुन0/11-12 में पारित आदेश दिनांक 14.05.2013,

---

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं. 1959,

मान्यवर,

निगरानीकर्ता निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि:-

19/6/013

निगरानी का संक्षेप

{1} यह कि, ग्राम- छटनकैंप तहसील-बांधवगढ़, की आराजी ख.नं. 1579/1 जुज रकवा 0.026, 1580/1 रकवा 0.029, 1599/1क/1 जुज रकवा 0.078 हेक्टर किता 3 कुल रकवा 0.133 हेक्टर पर क्लब व भवन निर्मित है। उक्त भूमि पूर्व में रीवा कोल फील्ड के कब्जे में थी। कोल फील्ड के द्वारा उपरोक्त भूमि पर कोल कम्पनी ने भवन {क्लब} का निर्माण कराया था, तत्पश्चात् समिति को सार्वजनिक उपयोग के लिये 1953-54 के पूर्व ही अन्तरित कर दी थी। तब से निरन्तर क्लब भवन का उपयोग ~~उम~~ उमरियावासियों के द्वारा किया जा रहा है। तत्कालीन हल्का पटवारी के द्वारा खसरा रोस्टर के समय क्लब भवन अंकित न करने के कारण मंगल क्लब भवन सचिव के द्वारा एक आवेदन प्रविष्टि दुरुस्त करने के लिये वर्ष 91-92 में तहसीलदार बांधवगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया था।

/2/

R 2323-III/13

26.8.15

आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक अधि. को आज दिनांक 26.8.15 की तिथि नोट होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं। समय-समय पर तीन बार पुकार लगवाई गई। लेकिन कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

[illegible signature]